International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

समान नागरिक संहिता के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक और विधिक अधिकारों का उपचार और औचित्य

सहायक प्राध्यापक - रवि वास्कले

जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय. शुजालपुर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

सारांश - भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय राष्ट्र है। भारतीय समाज में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा परिवार से संबंधित अनेक विषय लंबे समय से विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत विधियों द्वारा विनियमित होते रहे हैं। इन व्यक्तिगत विधियों की विविधता ने जहाँ भारतीय समाज की सांस्कृतिक बहुलता को संरक्षित किया है, वहीं कुछ परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रश्न भी उत्पन्न किए हैं। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य केवल विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को एक कानून में बदलना नहीं, बल्कि नागरिकों के बीच समानता, न्याय, गरिमा और विधिक संरक्षण की स्थापना करना है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में इसका महत्व अधिक है, क्योंकि विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सीधे प्रभावित होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों ने भी व्यक्तिगत विधियों में लैंगिक न्याय की आवश्यकता पर बल दिया है। शायरा बानो बनाम भारत संघ में तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया, जबकि विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में पुत्री को पैतृक सहदायिक संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार की व्याख्या की गई।

वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक उदाहरण उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित किया और इसे 27 जनवरी 2025 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंधों जैसे नागरिक विषयों के लिए समान व्यवस्था विकसित की गई। उत्तराखंड के आधिकारिक पोर्टल पर 2025 के नियमों के साथ बाद के संशोधनों एवं 2026 के संशोधन अधिनियम का भी उल्लेख है। यह शोध-पत्र महिलाओं के सामाजिक एवं विधिक अधिकारों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता के औचित्य, संभावनाओं, चुनौतियों और सीमाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि समान नागरिक संहिता तभी वास्तव में महिला सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है, जब उसमें समानता के साथ-साथ गरिमा, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक विविधता तथा कमजोर वर्गों के संरक्षण का संतुलन स्थापित किया जाए।

मुख्य शब्द: समान नागरिक संहिता, महिला अधिकार, लैंगिक समानता, व्यक्तिगत विधि, सामाजिक न्याय, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, भरण-पोषण, संविधान, विधिक अधिकार।

1. प्रस्तावना

भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को विशेष स्थान प्राप्त है। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक ओर भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की चुनौती थी, तो दूसरी ओर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसी संतुलन के अंतर्गत संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य के नीति-निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया।

समान नागरिक संहिता इसी संवैधानिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का हिस्सा है। अतः इसे सीधे न्यायालय में लागू कराने योग्य अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता, किंतु यह राज्य की विधि-निर्माण संबंधी दिशा निर्धारित करता है। संविधान में अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के निषेध तथा अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रश्न इसलिए जटिल है क्योंकि भारत में व्यक्तिगत विधियाँ धर्म, परंपरा और समुदाय से जुड़ी हुई हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित अलग-अलग विधिक व्यवस्थाएँ रही हैं। इनमें समय-समय पर संसद और न्यायपालिका द्वारा सुधार किए गए हैं।

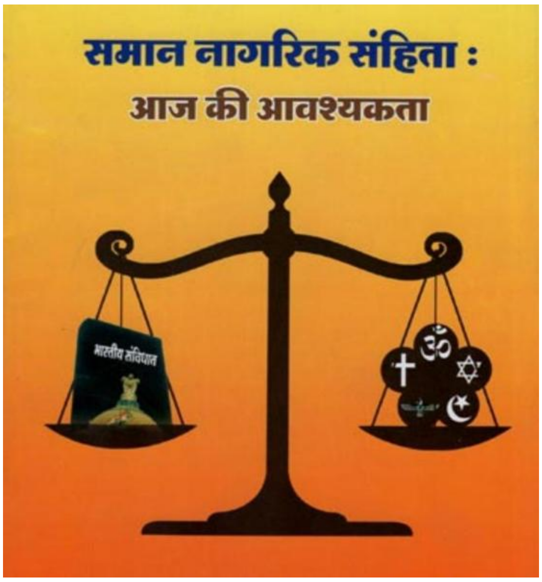

महिलाओं के संदर्भ में यह विषय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार भारतीय समाज की मूल सामाजिक संस्था है और परिवार से जुड़े कानून महिला के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। विवाह में अधिकार, विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया, भरण-पोषण, संतान की अभिरक्षा, संपत्ति में हिस्सा तथा उत्तराधिकार जैसे विषय महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्वतंत्रता से सीधे जुड़े हैं। इस दृष्टि से समान नागरिक संहिता का प्रश्न केवल "एक कानून बनाम अनेक कानून" का प्रश्न नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भारत में व्यक्तिगत विधियों की विविधता को बनाए रखते हुए भी प्रत्येक महिला को समान नागरिक अधिकार और समान विधिक संरक्षण दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो समान नागरिक संहिता किस सीमा तक इसका माध्यम बन सकती है ?

21वें विधि आयोग ने 2018 में परिवार कानूनों में सुधार पर व्यापक विमर्श किया था। बाद में 22वें विधि आयोग ने जून 2023 में समान नागरिक संहिता के संबंध में जनता तथा धार्मिक संगठनों से पुनः विचार आमंत्रित किए। उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के अनुसार 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ और उसने समान नागरिक संहिता पर अंतिम रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया। उत्तराखंड ने इस बहस को व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाते हुए "Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024" अधिनियम बनाया। अधिनियम विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन संबंधों तथा उनसे संबंधित मामलों को विनियमित करता है।

2. साहित्य एवं अवलोकन

समान नागरिक संहिता पर उपलब्ध साहित्य को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - **संवैधानिक एवं विधिक साहित्य, न्यायिक निर्णयों** पर आधारित साहित्य तथा महिला अधिकार एवं सामाजिक न्याय संबंधी अध्ययन। संवैधानिक साहित्य में समान नागरिक संहिता को मुख्यतः अनुच्छेद 44 के संदर्भ में देखा गया है। इसके साथ अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 26 का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर समानता और लैंगिक न्याय की संवैधानिक अवधारणा है, तो दूसरी ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए UCC पर विमर्श में दोनों पक्षों के बीच संतुलन आवश्यक है।

विधि आयोग के अध्ययन भी इस विषय में महत्वपूर्ण हैं। **21वें विधि आयोग ने 2018** में **"Reforms of Family Law"** के माध्यम से व्यक्तिगत विधियों में सुधार के प्रश्न पर व्यापक विचार प्रस्तुत किया। 22वें विधि आयोग ने 2023 में पुनः समान नागरिक संहिता के विषय में सार्वजनिक विचार आमंत्रित किए। इससे स्पष्ट होता है कि UCC का प्रश्न भारतीय विधिक व्यवस्था में लंबे समय से विचाराधीन है।

न्यायिक साहित्य में **शाह बानो, शायरा बानो, सरला मुद्गल, जॉन वल्लामट्टम तथा विनीता शर्मा** जैसे निर्णयों का विशेष महत्व है। इन निर्णयों ने व्यक्तिगत कानूनों, लैंगिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध को समझने का अवसर दिया है।

शायरा बानो बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से तत्काल तीन तलाक अर्थात् तलाक-ए-बिद्दत को निरस्त किया। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या ऐसी प्रथा महिला की समानता, गरिमा और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप है। इसी प्रकार **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा** में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्री के सहदायिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए पुत्री को पुत्र के समान अधिकार प्रदान किए। यह निर्णय संपत्ति में महिलाओं की समानता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।

उत्तराखंड UCC पर उपलब्ध अकादमिक अध्ययन बताते हैं कि अधिनियम विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को एक समान विधिक ढाँचे में लाने का प्रयास करता है। इसमें बहुविवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण, तलाक की समान प्रक्रिया तथा महिलाओं के लिए भरण-पोषण संबंधी प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. समान नागरिक संहिता की अवधारणा का संवैधानिक एवं विधिक विश्लेषण करना।
2. महिलाओं के सामाजिक अधिकारों पर समान नागरिक संहिता के संभावित प्रभाव का अध्ययन करना।
3. महिलाओं के विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों का विश्लेषण करना।
4. व्यक्तिगत विधियों में लैंगिक असमानता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना।
5. समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संबंध का परीक्षण करना।

4. परिकल्पना

- यदि समान नागरिक संहिता को संविधान के समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लागू किया जाता है, तो यह महिलाओं के सामाजिक एवं विधिक अधिकारों को मजबूत करने, विधिक असमानताओं को कम करने तथा महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
- द्वितीय परिकल्पना यह है कि केवल कानून की समानता महिला सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विधिक जागरूकता, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, न्याय तक आसान पहुँच और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था भी आवश्यक है।

5. शोध-प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः **गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक** शोध पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक स्रोतों में भारतीय संविधान, समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2025 के नियम, न्यायालयीन निर्णय तथा सरकारी दस्तावेजों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक UCC पोर्टल पर अधिनियम, नियम, सेवाओं और संशोधनों की जानकारी उपलब्ध है।

द्वितीयक स्रोतों में शोध-पत्र, विधिक लेख, पुस्तकें, विधि आयोग की सामग्री, समाचार-पत्रों में प्रकाशित विश्लेषण तथा महिला अधिकारों से संबंधित अकादमिक साहित्य का अध्ययन किया गया है।

6. समान नागरिक संहिता: अवधारणा एवं वर्तमान स्थिति

समान नागरिक संहिता से आशय ऐसे समान नागरिक कानून से है जो नागरिकों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मामलों. जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों. को धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत विधियों के स्थान पर समान नागरिक सिद्धांतों के आधार पर नियंत्रित करे। यह समझना आवश्यक है कि अगस्त 2026 तक भारत के पूरे क्षेत्र में कोई एक केंद्रीय समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है। हालांकि गोवा में ऐतिहासिक रूप से एक समान नागरिक कानून व्यवस्था रही है और उत्तराखंड ने 2024 में अपना UCC अधिनियम बनाया, जिसे 27 जनवरी

2025 से लागू किया गया। उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

उत्तराखंड अधिनियम का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन संबंध और उनसे जुड़े मामलों को विनियमित करना है। अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों तथा संविधान के भाग XXI के अंतर्गत संरक्षित कुछ प्रथागत अधिकारों से संबंधित व्यक्तियों को अपवाद प्रदान किया गया है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि "समानता" का अर्थ हर परिस्थिति में पूर्ण एकरूपता नहीं हो सकता। भारत जैसे विविध समाज में संवैधानिक संरक्षण और सामाजिक विविधता का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

7. समान नागरिक संहिता में महिलाओं के सामाजिक अधिकार

7.1 सामाजिक समानता का अधिकार

महिला के सामाजिक अधिकार का आधार उसकी समान नागरिक पहचान है। किसी महिला को केवल उसके धर्म, समुदाय या वैवाहिक स्थिति के कारण कमतर अधिकार मिलना संवैधानिक समानता की भावना के विपरीत हो सकता है। समान नागरिक संहिता का प्रमुख सामाजिक औचित्य यही है कि विवाह और परिवार संबंधी नागरिक अधिकारों को व्यक्ति की धार्मिक पहचान के बजाय समान नागरिक सिद्धांतों से जोड़ा जाए। इससे महिलाओं में यह भावना विकसित हो सकती है कि कानून उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में देखता है, न कि केवल किसी परिवार या समुदाय की सदस्य के रूप में

7.2 विवाह में समानता

विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं बल्कि विधिक संस्था भी है। विवाह से संपत्ति, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, संतान, अभिभावकत्व और सामाजिक सुरक्षा जैसे अनेक अधिकार जुड़े होते हैं। उत्तराखंड UCC में विवाह की शर्तों को समान रूप से लागू करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि विवाह के समय किसी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बहुविवाह पर समान प्रतिबंध लागू होता है। महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। बहुविवाह की स्थिति में पत्नी की आर्थिक, भावनात्मक और पारिवारिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। समान विवाह नियम ऐसी असमानता को कम करने का प्रयास करते हैं।

7.3 विवाह पंजीकरण का अधिकार

विवाह का पंजीकरण महिला के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक एवं विधिक सुरक्षा प्रदान करता है। पंजीकरण होने से विवाह के अस्तित्व का प्रमाण उपलब्ध रहता है। उत्तराखंड UCC में विवाह पंजीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य स्वरूप दिया गया है। वर्तमान आधिकारिक पोर्टल पर विवाह पंजीकरण और पूर्व पंजीकृत विवाह की **acknowledgement** जैसी सेवाएँ उपलब्ध हैं। विवाह प्रमाण-पत्र महिला को कई परिस्थितियों में लाभ देता है—जैसे भरण-पोषण का दावा, उत्तराधिकार, सरकारी योजनाओं का लाभ, पासपोर्ट/वीजा संबंधी प्रक्रिया तथा न्यायालयीन विवादों में वैवाहिक स्थिति प्रमाणित करना

7.4 गरिमा और सम्मान का अधिकार

महिला अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय गरिमा है। विवाह या परिवार के भीतर महिला की गरिमा को प्रभावित करने वाली कोई भी विधिक या सामाजिक व्यवस्था समानता की कसौटी पर परखी जानी चाहिए। शायरा बानो प्रकरण में तीन तलाक को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसी व्यापक संवैधानिक विमर्श का हिस्सा है। न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को बहुमत से निरस्त किया। यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि धार्मिक व्यक्तिगत विधि भी संवैधानिक मूल्यों के व्यापक विमर्श से पूरी तरह अलग नहीं है।

7.5 आर्थिक सुरक्षा का अधिकार

महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण आधार आर्थिक सुरक्षा है। विवाह टूटने की स्थिति में महिला के पास आय का स्वतंत्र स्रोत न होने पर वह आर्थिक संकट में पड़ सकती है। उत्तराखंड UCC में अंतरिम भरण-पोषण और स्थायी भरण-पोषण के प्रावधान हैं। अधिनियम के अनुसार

न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर पति या पत्नी में से आर्थिक रूप से निर्भर पक्ष के लिए भरण-पोषण निर्धारित कर सकता है। पत्नी को प्राप्त मेहर, स्त्रीधन या अन्य उपहार को उसके भरण-पोषण के दावे से अलग माना गया है। यह व्यवस्था इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महिला का व्यक्तिगत स्वामित्व उसके भरण-पोषण के अधिकार को समाप्त नहीं करता।

8. समान नागरिक संहिता में महिलाओं के विधिक अधिकार

8.1 संपत्ति एवं उत्तराधिकार का अधिकार

महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार संपत्ति पर अधिकार है। यदि महिला को परिवार की संपत्ति में वास्तविक हिस्सा नहीं मिलता तो उसकी सामाजिक स्वतंत्रता भी सीमित रहती है। उत्तराखंड **UCC में intestate succession** अर्थात् बिना वसीयत मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकार के लिए समान व्यवस्था बनाई गई है। इसमें पति/पत्नी, संतान तथा माता-पिता को प्राथमिक श्रेणी के उत्तराधिकारियों में रखा गया है। Class-I उत्तराधिकारियों में जीवित spouse और प्रत्येक **surviving child** के लिए एक-एक share का प्रावधान है। यह व्यवस्था महिला के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुत्र और पुत्री को उत्तराधिकार में समान श्रेणी में रखा जाता है।

8.2 पुत्री का समान उत्तराधिकार

भारतीय न्यायपालिका ने भी महिलाओं के संपत्ति अधिकार को मजबूत किया है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्री को पुत्र के समान सहदायिक अधिकार की पुष्टि की। UCC की दृष्टि से संपत्ति के उत्तराधिकार में लिंग के आधार पर अंतर कम करना महिला की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार महिला को केवल आर्थिक संसाधन नहीं देता, बल्कि पारिवारिक निर्णयों में उसकी भागीदारी और सामाजिक आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है।

8.3 विधवा के अधिकार

विधवा महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक चिंता का विषय रही है। उत्तराखंड UCC में spouse को उत्तराधिकार की प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। इससे विधवा/जीवित spouse के आर्थिक हितों को विधिक सुरक्षा प्राप्त होती है। हालांकि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव होगा जब महिला अपने अधिकारों की जानकारी रखे और संपत्ति के दस्तावेजों एवं उत्तराधिकार प्रक्रिया तक उसकी आसान पहुँच हो।

8.4 तलाक का समान अधिकार

तलाक की प्रक्रिया में समानता महिला की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक है। यदि तलाक का अधिकार केवल पुरुष के पक्ष में अधिक प्रभावी हो, तो महिला वैवाहिक संबंध में असमान स्थिति में रहती है। उत्तराखंड UCC में दोनों पक्षों को तलाक के लिए निर्धारित आधार उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुछ अन्य वैधानिक आधार तथा भरण-पोषण आदेश का पालन न करना शामिल हैं। पत्नी को कुछ अतिरिक्त आधार भी उपलब्ध हैं, जैसे पति द्वारा बलात्कार या अन्य यौन अपराध का दोषी होना। यह व्यवस्था महिलाओं की विधिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

8.5 पारस्परिक सहमति से तलाक

विवाह को समाप्त करने का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। यदि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और साथ नहीं रह सकते हों, तो पारस्परिक सहमति से तलाक की व्यवस्था विवाद को कम कर सकती है। **उत्तराखंड UCC में mutual consent divorce** का प्रावधान है। इससे महिला को अनावश्यक लंबे वैवाहिक विवाद से बाहर निकलने का विधिक रास्ता मिलता है।

समान नागरिक संहिता में महिलाओं के सामाजिक और विधिक अधिकार

क्रम सं.	अधिकार का प्रकार	सामाजिक अधिकार	विधिक अधिकार
1.	समानता का अधिकार	लैंगिक भेदभाव से मुक्ति, समान सामाजिक सम्मान।	कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध।
2.	विवाह संबंधी अधिकार	स्वतंत्र जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता, बाल विवाह पर रोक।	विवाह के लिए न्यूनतम आयु, एकपत्नी/एकपति प्रथा, पंजीकरण अनिवार्य।
3.	तलाक का अधिकार	असमान और एकतरफा तलाक प्रथा का अंत।	तलाक के समान आधार, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा तलाक।
4.	भरण-पोषण का अधिकार	परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा।	भरण-पोषण का अधिकार, पति/परिवार की जिम्मेदारी।
5.	संपत्ति में अधिकार	पैतृक संपत्ति में समान भागीदारी का सामाजिक स्वीकार।	उत्तराधिकार में समान अधिकार, वसीयत और संपत्ति का समान बंटवारा।
6.	गोद लेने का अधिकार	मातृत्व का अधिकार, सामाजिक मान्यता।	महिलाओं को भी गोद लेने का समान अधिकार।
7.	संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार	घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न से सुरक्षा।	घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा।
8.	शिक्षा और रोजगार का अधिकार	शिक्षा और रोजगार में समान अवसर।	शिक्षा का अधिकार, रोजगार में भेदभाव का निषेध।
9.	निर्णय लेने का अधिकार	परिवार और समाज में निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी।	वैवाहिक, संपत्ति, बच्चों की परवरिश आदि निर्णयों में समान अधिकार।
10.	न्याय पाने का अधिकार	कानूनी जागरूकता और समान न्याय की आशा।	न्याय तक समान पहुँच, कानूनी सहायता का अधिकार।
नोट: समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाकर महिलाओं को समान सामाजिक और विधिक अधिकार प्रदान करना है।			

8.6 संतान के अधिकार

महिला के अधिकारों से बच्चे के अधिकार भी जुड़े हुए हैं। विवाह शून्य घोषित होने की स्थिति में भी संतान को वैधता प्रदान करने का प्रावधान महिला एवं बच्चे दोनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तलाक या वैवाहिक विवाद की स्थिति में बच्चे की शिक्षा, देखभाल, अभिरक्षा और भरण-पोषण के संबंध में न्यायालय को आदेश देने की शक्ति दी गई है।

9. लिव-इन संबंधों में महिलाओं के अधिकार

आधुनिक भारतीय समाज में विवाह के अतिरिक्त सहजीवन या live-in relationship भी सामाजिक वास्तविकता बन चुका है। ऐसी स्थिति में महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड UCC की विशेषता यह है कि यह live-in relationships को विधिक रूप से मान्यता देता है तथा उनके पंजीकरण की व्यवस्था करता है। आधिकारिक पोर्टल पर live-in relationship registration और termination की सेवाएँ उपलब्ध हैं। अकादमिक विश्लेषणों के अनुसार UCC में लिव-इन संबंध से उत्पन्न बच्चों की वैधता तथा महिला के अधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया गया है।

इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष यह है कि सामाजिक वास्तविकता को कानून से पूरी तरह बाहर नहीं रखा गया है। परंतु आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि पंजीकरण की व्यवस्था महिला की निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अनावश्यक उल्लंघन न करे। अतः महिला अधिकारों के संदर्भ में लिव-इन संबंधों की कानूनी मान्यता के साथ privacy और autonomy का संतुलन आवश्यक है।

10. समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्वतंत्रता

समान नागरिक संहिता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 14 और 15 समानता तथा भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए UCC का निर्माण करते समय यह अंतर करना आवश्यक है कि कौन-सी धार्मिक प्रथा वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का आवश्यक भाग है और कौन-सी प्रथा नागरिक अधिकारों एवं लैंगिक समानता से संबंधित है। शायरा बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक रूप से निरस्त किया। यह निर्णय व्यक्तिगत कानून और मौलिक अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि महिला की समानता और गरिमा भी संवैधानिक विमर्श का केंद्रीय भाग है।

11. समान नागरिक संहिता का सामाजिक औचित्य

1. यदि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में अंतर है, तो समान नागरिक संहिता समानता की दिशा में सुधार कर सकती है।
2. अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समान नियम होने से नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी अधिक आसानी से हो सकती है।
3. उत्तराधिकार, संपत्ति और भरण-पोषण में समानता महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है।
4. बहुविवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण और समान तलाक प्रक्रिया महिला को वैवाहिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
5. कमजोर वर्गों को समान नागरिक अधिकार उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय के लोकतांत्रिक उद्देश्य के अनुरूप है।

12. समान नागरिक संहिता का विधिक औचित्य

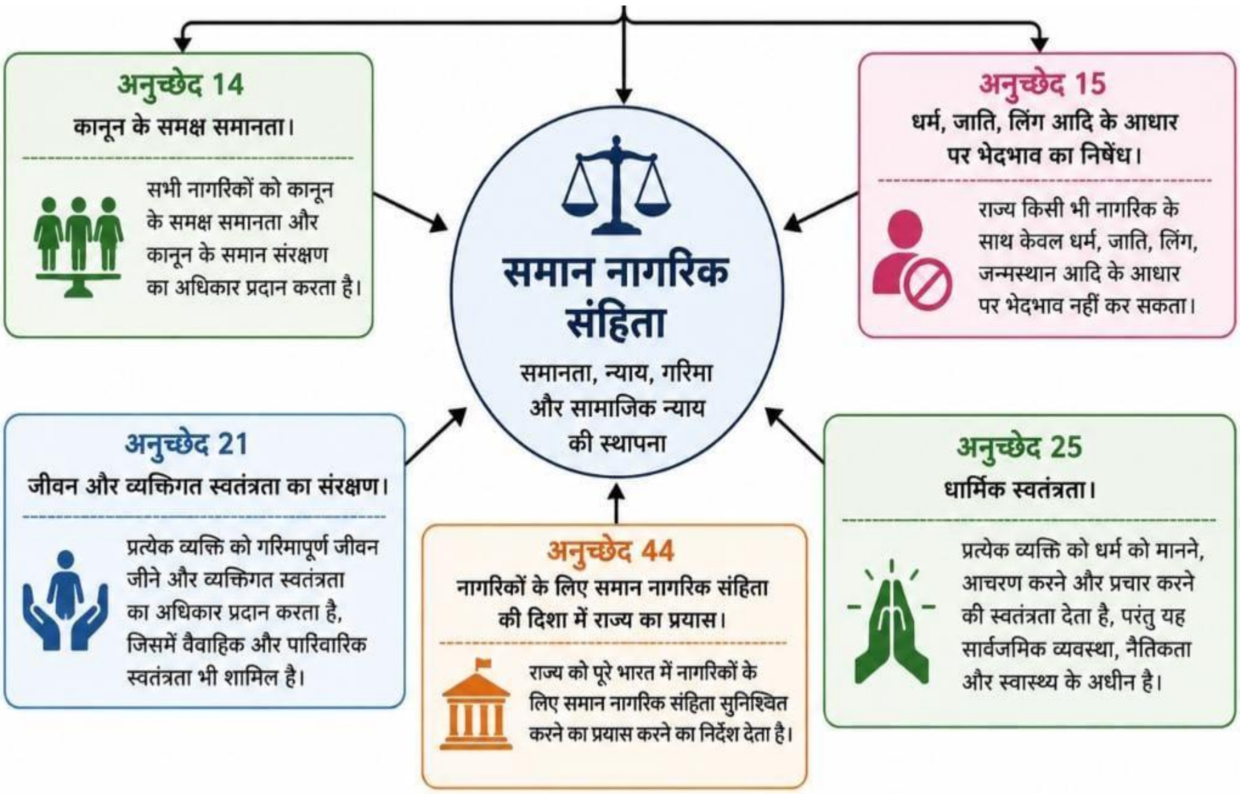

13. मूल्यांकन

समान नागरिक संहिता का मूल्यांकन केवल उसके उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रभावों के आधार पर किया जाना चाहिए।

सकारात्मक पक्ष

1. UCC महिलाओं को समान नागरिक पहचान देने का प्रयास करता है।
2. विवाह और तलाक के क्षेत्र में समान नियम महिला की विधिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
3. विवाह पंजीकरण महिला को वैवाहिक संबंध का प्रमाण प्रदान करता है।
4. उत्तराधिकार में पुत्र और पुत्री की समानता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है
5. भरण-पोषण संबंधी प्रावधान आर्थिक रूप से निर्भर महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं।
6. लिव-इन संबंधों को कानूनी ढाँचे में लाने से ऐसी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की संभावना बढ़ती है।
7. विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता कम होने से नागरिकों को विधिक प्रक्रिया समझने में सुविधा हो सकती है।

सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

1. भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता है। व्यक्तिगत कानून केवल कानून नहीं बल्कि समुदाय की सामाजिक पहचान से भी जुड़े हैं।
2. यह है कि "समानता" और "एकरूपता" को एक ही मान लेना उचित नहीं है। वास्तविक समानता के लिए विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है।
3. महिलाओं में कानूनी जागरूकता की कमी है। यदि महिला को उसके अधिकार का ज्ञान ही नहीं है तो कानून का लाभ सीमित रह जाएगा।
4. न्याय तक पहुँच है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया अभी भी कठिन और महँगी हो सकती है।
5. निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की है, विशेषकर लिव-इन संबंधों जैसे निजी जीवन से जुड़े विषयों में।
6. अनुसूचित जनजातियों एवं संवैधानिक रूप से संरक्षित प्रथागत कानूनों की है। उत्तराखंड UCC ने स्वयं कुछ श्रेणियों को इसके दायरे से बाहर रखा है।
7. यह है कि UCC को महिला सशक्तिकरण का पूर्ण समाधान मानना उचित नहीं होगा। महिलाओं की वास्तविक समानता शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ी है।

14. समान नागरिक संहिता और महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण केवल अधिकारों की घोषणा से संभव नहीं होता। इसके लिए अधिकारों के प्रयोग की वास्तविक क्षमता भी आवश्यक है।यदि महिला को संपत्ति में समान हिस्सा मिलता है, लेकिन परिवार उसे संपत्ति लेने से रोकता है, तो कानूनी समानता व्यावहारिक समानता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार यदि महिला को तलाक का अधिकार है लेकिन न्यायालय तक पहुँचने के लिए उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, तो विधिक अधिकार प्रभावहीन हो सकता है। इसलिए UCC के साथ निम्न व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना आवश्यक है ।

1. महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता अभियान।

3. विवाह एवं संपत्ति दस्तावेजों की आसान उपलब्धता।

4. महिला सहायता केंद्रों को मजबूत करना।

5. परिवार न्यायालयों की संख्या और क्षमता बढ़ाना।

6. डिजिटल सेवाओं के साथ ऑफलाइन सहायता उपलब्ध कराना।

7. महिला पुलिस एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाना।

15. आलोचनात्मक दृष्टिकोण

समान नागरिक संहिता को लेकर एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यदि "समानता" के नाम पर विविध सामाजिक परंपराओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तो इससे सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, व्यक्तिगत कानूनों की आड़ में ऐसी प्रथाओं को जारी रखना भी उचित नहीं माना जा सकता जो महिला की गरिमा, समानता या स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हों। इसलिए सही दृष्टिकोण "एकरूपता" के बजाय संवैधानिक समानता के साथ न्यायपूर्ण समानता होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से UCC का लक्ष्य किसी धर्म या समुदाय की पहचान को समाप्त करना नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों को मजबूत करना होना चाहिए। एक आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता दोनों आवश्यक हैं। इसलिए दोनों के बीच संघर्ष पैदा करने के बजाय संवैधानिक संतुलन स्थापित करना अधिक उपयोगी दृष्टिकोण है।

16. निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता भारत की संवैधानिक एवं सामाजिक व्यवस्था का एक जटिल किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके केंद्र में केवल कानूनों की एकरूपता का प्रश्न नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक गरिमा के बीच संतुलन का प्रश्न है। महिलाओं के संदर्भ में UCC का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे विषय सीधे महिला के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि इन क्षेत्रों में लिंग आधारित असमानता समाप्त की जाती है, तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्वतंत्रता मजबूत हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर व्यक्तिगत विधियों में महिला अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शायरा बानो मामले में तीन तलाक का निरस्तीकरण और विनीता शर्मा मामले में पुत्री के संपत्ति अधिकार की पुष्टि इस दिशा के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ने इस विमर्श को व्यावहारिक स्तर पर प्रस्तुत किया है। विवाह पंजीकरण, समान विवाह शर्तें, बहुविवाह पर रोक, तलाक की समान व्यवस्था, भरण-पोषण तथा उत्तराधिकार संबंधी प्रावधान महिलाओं की विधिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में UCC से संबंधित नियम एवं बाद के संशोधन भी जारी किए गए हैं, इसलिए इसके प्रभाव का दीर्घकालिक अध्ययन अभी आवश्यक है।

फिर भी यह मान लेना उचित नहीं होगा कि समान नागरिक संहिता अपने आप महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित कर देगी। कानून तभी प्रभावी होगा जब महिला को उसके अधिकार की जानकारी हो, न्याय तक उसकी पहुँच हो और सामाजिक संरचना उसके अधिकारों को स्वीकार करे। अतः इस शोध की परिकल्पना आंशिक रूप से पुष्ट होती है कि संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समान नागरिक संहिता महिलाओं के सामाजिक एवं विधिक अधिकारों को मजबूत करने का प्रभावी साधन बन सकती है। लेकिन इसके लिए कानून में समानता के साथ सामाजिक विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता, निजता, व्यक्तिगत स्वायत्तता और कमजोर वर्गों के संरक्षण का संतुलन आवश्यक है।

अंततः समान नागरिक संहिता का वास्तविक औचित्य "समान कानून" बनाने में नहीं बल्कि समान गरिमा, समान अवसर, समान विधिक संरक्षण और समान नागरिकता सुनिश्चित करने में है। यदि UCC का केंद्र महिला की स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता बनाया जाता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।

- **संदर्भ सूची**

1. भारत सरकार। (2026)। भारत का संविधान। विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार, विधि आयोग। (2018)। Reforms of family law: Consultation paper. भारतीय विधि आयोग
3. भारत सरकार, विधि आयोग। (2023)। Uniform Civil Code: Public notice and consultation process. 22वाँ विधि आयोग।
4. भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय। (2024)। Uniform Civil Code के संबंध में विधि आयोग की स्थिति। भारत सरकार।
5. चौधरी, एल. एन., एवं नारायण, एम. (2024)। Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024—Uniformizing marriage laws and legalizing live-in relationships. Indian Journal of Law and Legal Research / SAGE.
6. भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (2017)। Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1.
7. भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (2020)। Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, AIR 2020 SC 3717.
8. उत्तराखंड सरकार। (2024)। The Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (Act No. 03 of 2024)। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखंड सरकार।
9. उत्तराखंड सरकार। (2025)। The Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025। गृह अनुभाग, उत्तराखंड सरकार
10. उत्तराखंड सरकार। (2026)। The Uniform Civil Code, Uttarakhand (Amendment) Act, 2026। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखंड सरकार।
11. इंडियन एक्सप्रेस। (2024)। Uttarakhand civil code: The key changes for Hindus and Muslims in marriage and inheritance.
12. दूबे, आर. के. (2024)। The Uniform Civil Code of Uttarakhand: An analytical research. Indian Journal of Advanced Legal Research.